मद संख्या 4 (ख)- (xii)

आबंटित की गई राशियों सहित सब्सिडी के निष्पादन स्वरूप तथा इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण

12. आबंटित की गई राशियों सहित सब्सिडी के निष्पादन स्वरूप तथा इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण

12.1.1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/44/2014 - (आरई) के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं के स्तर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण (एसटी एंड डी) बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उनका संवर्द्धन करना;

(iii) आरजीजीवीअवाई को डीडीयूजीजेवाई में आमेलित करते हुए 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीअवाई के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.08.2013 के सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण करना और आरजीजीवीअवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय को आगे ले जाना;

12.1.2 संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि (12वीं और 13वीं योजना की शेष अवधि) के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 43,033 करोड़ रुपए की योजना लागत से उपर्युक्त घटक (i) और (ii) के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

12.1.3 12वीं और 13वीं योजनाओं में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित किए अनुसार पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीअवाई) के मौजूदा कार्यक्रम को इस योजना के एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण घटक [उपर्युक्त घटक (iii)], जिसके लिए सीसीईए 35,447 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 39,275 करोड़ रुपए की योजना लागत को पहले ही मंजूरी दे चुका है, में आमेलित कर दिया गया है। यह परिव्यय उपर्युक्त पैरा 12.1.2 में उल्लिखित परिव्यय के अतिरिक्त होगा, जिसे डीडीयूजीजेवाई की नई योजना के लिए आगे ले जाया जाएगा।

12.1.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2014 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/44/2014 - आरई जारी किया गया।

इस कार्यक्रम के लाभार्थी संबंधित राज्य सरकारें हैं।

12.2.1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.10.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/2/2016 - (आरई) के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू

विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" के कार्यान्वयन को मंजूरी दी :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना।

(ii) सुदूर और दुर्गम गांवों / बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना, जहाँ ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है।

(iii) शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना। अमीर शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

12.2.2 संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 16320 करोड़ रुपए की योजना लागत के लिए मंजूरी दी गई है।

12.2.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" कार्यालय के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 44/2/2016-आरई जारी किया गया।

इस कार्यक्रम के लाभार्थी संबंधित राज्य सरकारें हैं।